भारतीय रिज़र्व बैंक

बैंकिंग विनियमन विभाग

निजी क्षेत्र में भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश पर प्रश्नों का स्पष्टीकरण

स्पष्टीकरण प्रदान करने में, संभावित आवेदकों को दिशानिर्देशों की शर्तों को समझने में सहायता करने का प्रयास किया गया है। स्पष्टीकरण प्रश्नों के लिए विशिष्ट हैं और इन्हें दिशानिर्देशों के समग्र संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

1. कृपया लघु वित्त बैंक/भुगतान बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाले आवेदकों की संक्षिप्त सूची के साथ-साथ अंतिम सूची के लिए एक समय-सीमा प्रदान करें।

उ. समय-सीमा मुख्य रूप से प्राप्त आवेदनों की संख्या और अनुमोदन प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगी। इसलिए, इस स्तर पर कोई निश्चित समयरेखा प्रदान नहीं की जा सकती है।

2. यदि भुगतान बैंक द्वारा किसी इकाई को अपने व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो क्या वह इकाई भुगतान बैंक के लिए भुगतान संबंधी गतिविधियों को करने के अलावा किसी अन्य बैंक के लिए ऋण लेने जैसी व्यवसाय सुविधा(बीएफ)गतिविधियों को करने में सक्षम होगी?

उ. हां, बीसी नियुक्त करने वाले बैंकों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन।

3. क्या भुगतान बैंक अपने प्रवर्तक समूह की कंपनी (मूल या अन्य उप) को अपने कॉर्पोरेट बीसी के रूप में नियुक्त कर पाएगा?

उ. हां, दूरी के आधार पर और बीसी पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन।

4. हम यह समझना चाहते हैं कि क्या भुगतान बैंक इकाई अपने प्रवर्तक समूह अथवा मूल कंपनी की मौजूदा बुनियादी सुविधाओं जैसे प्रौद्योगिकी, वितरण (वितरण संसाधनों/आउटलेट/परिसरों सहित)और व्यापार प्रतिनिधि सेवाओं का लाभ उठा सकती है, जबकि यह सुनिश्चित करती है कि सभी 2 वित्तीय ट्रेजरी और जोखिम/विनियामक गतिविधियों सहित संबंधित मामले पूरी तरह से प्रमोटर समूह/मूल कंपनी से घिरे हुए हैं।

5. दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट किया गया हैं कि प्रमोटरों की अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवा गतिविधियों, यदि कोई हो, को स्पष्ट रूप से घेरे (फेंसिंग) में रखा जाना चाहिए और बैंकिंग व्यवसाय के साथ नहीं आना चाहिए। कृपया बताएं कि रिंगफेंसिंग के रूप में किस तरह का प्रबंधन निरीक्षण, बुनियादी ढांचे का साझाकरण, मानव पूंजी आदि स्वीकार्य होगा?

6. क्या ग्राहकों को प्राप्त करने और उनकी सेवा करने के लिए बुनियादी ढाँचे और वितरण नेटवर्क को साझा करने के आधार पर इस शर्त को पूरा किया जाना चाहिए कि भुगतान बैंक की गतिविधियाँ सही हैं और प्रमोटर समूह की अन्य गतिविधियों के साथ नहीं आ रही हैं?

7. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि "प्रवर्तकों की अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवा गतिविधियों, यदि कोई हो, को स्पष्ट रूप से अलग रखा जाना चाहिए और भुगतान बैंक के बैंकिंग और वित्तीय सेवा व्यवसाय के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिए"। हम सराहना करेंगे कि इस पहलू को और अधिक विस्तार से समझाया गया है।

8. कृपया पुष्टि करें कि "पेमेंट्स बैंक" को "प्रमोटर" के वितरण नेटवर्क और अपने पीपीआई व्यवसाय के वितरण नेटवर्क का लाभ उठाने की अनुमति है जिसे एक अलग पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

9. क्या भुगतान बैंक समाधान डेटा सेंटर (डीसी) और डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआर) सहित समूह की अपनी दूरसंचार अवसंरचना में सह-स्थित हो सकता है। यदि किसी तार्किक पृथक्करण की आवश्यकता है, तो होस्ट किए गए सर्वरों का केवल तार्किक पृथक्करण ही पर्याप्त होगा (जैसे एक अलग पिंजड़ा) अथवा क्या हमें पाइप, नेटवर्किंग और सुरक्षा उपकरणों आदि जैसे अन्य बुनियादी ढांचे के घटकों को अलग करने सहित पूर्ण पृथक्करण की आवश्यकता है। क्या भुगतान बैंक समाधान को तृतीय-पक्ष डेटा केंद्र में होस्ट किया जा सकता है। हमारे भुगतान बैंक मॉडल में डीसी 100% निरर्थक होगा। क्या अभी भी परिचालन के पहले दिन एक पूर्ण कार्यशील डीआर होना अनिवार्य होगा? अगर अनुपालन के लिए कोई विशिष्ट निगरानी पैरामीटर (बुनियादी ढांचे और सेवा स्तर पर) अपेक्षित है तो साझा करने का अनुरोध करें। इसके अलावा, भुगतान बैंक के लिए आरपीओ/आरटीओ मापदंडों पर आरबीआई की अपेक्षा को साझा करने के डीआर का अनुरोध।

एक मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटर के रूप में, हमारे पास वर्तमान में एक व्यापक ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणाली है। क्या हम भुगतान बैंक के लिए इस प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं? क्या भुगतान बैंक का अकाउंटिंग, वित्तीय, पे रोल और एचआरएमएस सिस्टम पैरेंट ग्रुप/एंटिटी सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि पेमेंट्स बैंक और टेल्को या अन्य सेवाओं के लिए डेटा/सिस्टम को अलग-अलग होना आवश्यक है, क्या मूल समूह स्तर पर दोनों सिस्टम तक पहुंच रखने वाले या दोनों सिस्टम की नियंत्रण प्रक्रिया वाले उपयोगकर्ताओं का एक सामान्य समूह हो सकता है। निम्नलिखित प्रकार के उपयोगकर्ताओं के संबंध में स्पष्ट करने का अनुरोध:

ए) प्रबंधित सेवा कर्मियों के पास डीसी और उपकरणों तक पहुंच है

बी) सूचना सुरक्षा अधिकारी और प्रक्रिया से संबंधित कर्मचारी

सी) हेल्पडेस्क उपयोगकर्ता

डी) व्यापार उपयोगकर्ता

10. इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या भुगतान बैंक इकाई अपने प्रवर्तक समूह अथवा मूल कंपनी की वितरण, प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रतिनिधि सेवाओं जैसी मौजूदा बुनियादी सुविधाओं का 'आसन्न दूरी' पर लाभ उठा सकती है: यह सुनिश्चित करना कि कोषागार और जोखिम/नियामक गतिविधियों सहित सभी वित्तीय संबंधी मामले प्रवर्तक समूह/मूल कंपनी से पूरी तरह से घेरे हुए हैं, जिसमें प्रवर्तक निधियों के साथ ग्राहकों की जमाराशियों पर सामान्य प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावा, वितरण नेटवर्क का लाभ उठाने के संबंध में, यह सुनिश्चित करना कि प्रमोटर के वितरक के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका और भुगतान बैंक आउटलेट के रूप में उनकी भूमिका के बीच एक स्पष्ट कानूनी अलगाव है।

11. रिंग फेंसिंग से क्या उम्मीद है? उदाहरण के लिए, यदि कोई टेलीकॉम ऑपरेटर भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, तो क्या उसे लोगों, प्रक्रियाओं, आईटी सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, आउटसोर्सिंग, एचआर, फाइनेंस फंक्शन और इनडायरेक्ट सपोर्ट फंक्शन को रिंग फेंसिंग करना होगा?

12. रिंग फेंसिंग कैसे हासिल की जानी है?

उ. (4 से12) रिंग फेंसिंग मूल प्रोमोटर/ प्रोमोटर समूह की संस्थाओं के बुनियादी ढांचे को साझा करने की व्यवस्था को प्रतिबंधित नहीं करता है, बशर्ते कि कोई समझौता/अनुबंध आदि हो, यदि ऐसी व्यवस्था एक हाथ की लंबाई के आधार पर की जाती है तो उपयुक्त फायरवॉल बनाए जाते हैं, ग्राहक गोपनीयता बनाए रखी जाती है और परिचालन जोखिम के लिए जोखिम कम करने के उपाय किए जाते हैं। व्यवसाय योजना इन पहलुओं को स्पष्ट रूप से सामने ला सकती है। हालाँकि, कोई भी पीपीआई इकाई एक ही समूह में भुगतान बैंक के साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकती है।

13. क्या रिंग फेंसिंग को किसी बाहरी प्रमाणन द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए या आरबीआई कोई निरीक्षण करेगा?

उ. यह एक सतत (धारणीय) आवश्यकता होगी।

14. दिशानिर्देशों का अनुबंध (पैरा 3) प्रमोटर समूह संस्थाओं के लिए आवश्यक सूचना/ दस्तावेजों की सूची निर्धारित करता है जिसमें अन्य बातों के अलावा, प्रबंधन और कॉर्पोरेट संरचना, संस्थाओं की कुल आस्ति, मांगी गई क्रेडिट सुविधाएं और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। हम निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुलग्नक में आवश्यक जानकारी के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण चाहते हैं।

हम एक अच्छी तरह से विविध समूह होने के नाते और कई विदेशी देशों में संचालन कर रहे हैं जो विभिन्न होल्डिंग संरचनाओं के माध्यम से स्थापित अपतटीय सहायक कंपनियों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, यह क्रेडिट सुविधाओं / बैंक खाते के विवरण, नियामक को प्रस्तुत करने के लिए बेहद बोझिल (और संभवतः प्रासंगिक नहीं) हो सकता है , पीएएन, टीएएन, सीआईएन, सचित्र ऑर्गोग्राम ऐसी विदेशी संस्थाओं की संरचना को दर्शाता है। इसलिए क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि नीचे दी गई जानकारी जमा करना अनुबंध। के पैरा(3) की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा?

ए) प्रमोटर और प्रमोटर समूह की सभी निवासी भारतीय संस्थाओं के लिए मांगी गई पूरी जानकारी।

बी) पिछले पांच वर्षों के लिए विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षित/ अलेखापरीक्षित)।

सी) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुसार प्रमोटर के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण।

उ. (ए से सी) दिशानिर्देशों के अनुबंध से संकेत मिलता है कि व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम, सभी संस्थाओं की शेयरधारिता, प्रबंधन और कॉर्पोरेट संरचना का विवरण, संस्थाओं की संरचना, शेयरधारिता और कुल आस्ति का संकेत देने वाला एक चित्रमय ऑर्गनोग्राम प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑर्गनोग्राम मुख्य व्यक्तिगत प्रमोटरों के साथ शुरू होना चाहिए जो समूह की संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी और समूह की संस्थाओं के बीच क्रॉस होल्डिंग का संकेत देते हैं। प्रत्येक समूह इकाई के लिए ऑर्गनोग्राम की आवश्यकता नहीं है। दिशानिर्देशों के अनुलग्नक के अनुसार आवश्यक विवरण आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के संदर्भ में, यदि आप हमें 31 मार्च 2015 तक का समय प्रदान कर सकते हैं, तो हम व्यवसाय योजना के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने में सक्षम होंगे।

उ. भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2015 तक बढ़ा दी गई है।

16. अन्य बैंकों के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में कार्य करना - क्या बीसी के रूप में कार्य करने वाले बैंकों की संख्या पर कोई सीमा है?

17. दिशानिर्देशों/प्रतिबंधों का सेट जो भुगतान बैंकों के बीसी पॉइंट्स पर लागू होगा।

उ. (16 से 17) मौजूदा निर्देशों के अनुसार, बैंकों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है जिसके लिए कोई बीसी के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि, ग्राहक इंटरफेस के बिंदु पर, एक बीसी उस बैंक का प्रतिनिधित्व करेगा जिसने उसे नियुक्त किया है। बीसी पर मौजूदा दिनांक 1 जुलाई 2015 निदेश परिपत्र डीबीओडी सं. बीएपीडी.बीसी. 7/22.01.001/2014-15 के पैरा 8 में उपलब्ध हैं, लागू होगा।

18. क्या भुगतान बैंक अपने ग्राहकों की ओर से भुगतान और प्रेषण करने के लिए शुल्क ले सकता है? यदि हां, तो भुगतान बैंक द्वारा लगाए जाने वाले लेनदेन शुल्क पर क्या प्रतिबंध है?

उ. आरबीआई द्वारा बैंकों को जारी किए गए मौजूदा अनुदेश भुगतान बैंकों पर भी लागू होंगे।

19. वित्तीय उत्पादों - म्यूचुअल फंड, बीमा उत्पादों, आदि के वितरण के लिए भुगतान बैंक कितने बैंक/वित्तीय संस्थान से निपट सकता है? भुगतान बैंक कितना कमीशन ले सकता है?

उ. पैरा-बैंकिंग गतिविधियों पर हमारे मौजूदा निर्देशों के अनुसार, बैंकों को समय-समय पर जारी उनके संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुपालन में बीमा, म्युचुअल फंड आदि जैसे तीसरे पक्ष के वित्तीय उत्पादों का विपणन और वितरण करने की अनुमति है। कमीशन आदि के संबंध में बैंकों को इस मामले में संबंधित क्षेत्रीय विनियामकों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

20. हालांकि दिशा-निर्देशों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, क्या भुगतान बैंक अपने राजस्व सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों को लॉकर/वॉल्ट सेवाएं प्रदान कर सकता है?

उ. हां

21. भुगतान बैंकों के लिए संभावित लाइसेंस आवेदनों की जांच करते समय, क्या आरबीआई उन आवेदकों को वरीयता देगा जो पहले से ही प्रीपेड भुगतान उपकरण मार्ग के माध्यम से भुगतान सेवाओं में लगे हुए हैं?

उ. आवेदकों का ट्रैक रिकॉर्ड उन कारकों में से एक होगा जिसे आरबीआई द्वारा आवेदनों की जांच के समय देखा जाएगा।

22. छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों की रिपोर्ट के लिए व्यापक वित्तीय सेवा समिति पर नचिकेत मोर रिपोर्ट दिनांक 10 जनवरी 2014 ने निम्नलिखित पर गौर किया गया था:

"पीपीआई द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों और इस मॉडल से जुड़ी अंतर्निहित विवेकपूर्ण चिंताओं को देखते हुए, मौजूदा और नए पीपीआई आवेदकों को इसके बजाय भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने या व्यवसाय प्रतिनिधि बनने की आवश्यकता होनी चाहिए। कोई अतिरिक्त पीपीआई लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए"

यदि नचिकेत मोर रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और निकट भविष्य में किसी स्तर पर इसे लागू किए जाने की संभावना है, तो आरबीआई कृपया साझा करें।

उ. फिलहाल पीपीआई लाइसेंस देने की व्यवस्था भी जारी रहेगी।

23. एक चैनल के रूप में, क्या पेमेंट बैंक देश भर में किराना स्टोर्स को पेमेंट्स बैंक की सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट के रूप में भर्ती कर सकता है?

उ. हां, बीसी पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन।

24. दिशा-निर्देश में कहा गया है कि भुगतान बैंक का लीवरेज अनुपात 3% से कम नहीं होना चाहिए यानी इसकी बाहरी देनदारियां इसके नेटवर्थ के 33.33 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या भुगतान बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले ऋण साधनों के प्रकार पर कोई विशिष्ट दिशानिर्देश हैं?

उ. ऋण लिखत जारी करने के प्रयोजन के लिए, भुगतान बैंकों को किसी अन्य बैंक के रूप में माना जाएगा।

25. जब भुगतान बैंक रुपये के निवल मूल्य तक पहुँच जाता है। 500 करोड़, उस निवल मूल्य तक पहुँचने के 3 वर्षों के भीतर सूचीबद्ध होना अनिवार्य है।

ए. सूचीबद्धता के समय प्रवर्तकों की शेयरधारिता को कमजोर करने का मानदंड क्या है?

बी. भुगतान बैंक के प्रवर्तकों के पास कारोबार शुरू होने से पहले पांच साल के लिए उसकी चुकता इक्विटी पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए। क्या पांचवें साल के बाद प्रवर्तकों की शेयरधारिता में और कमी आने की उम्मीद है?

उ. इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, भुगतान बैंकों द्वारा लिस्टिंग के समय प्रमोटरों के लिए सेबी के कमजोर पड़ने के मानदंड और इस संबंध में आरबीआई के विनियामकीय/पर्यवेक्षी आराम/असुविधा का पालन किया जाना चाहिए।

26. क्या कोई भुगतान बैंक हमारे ग्राहकों की पहचान के एकल प्रमाण के रूप में केवल आधार कार्ड का उपयोग कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, क्या आधार कार्ड की एक प्रति अन्य दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आदि के साथ पूरक होनी चाहिए?

उ. भुगतान बैंक में केवाईसी अन्य सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) पर मास्टर परिपत्र तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार होना चाहिए।

27. भुगतान बैंकों के लिए अंतिम दिशानिर्देशों में उल्लिखित भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2015 है।

ए. हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमें 31 मार्च, 2015 तक का समय प्रदान करें क्योंकि हम आरबीआई की प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए अपने भुगतान बैंक मॉडल के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करना चाहते हैं।

बी. क्या आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले प्रस्तावित लाइसेंसों की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा है?

उ. (ए) भुगतान बैंकों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2015 तक बढ़ा दी गई है।

(बी) आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले प्रस्तावित लाइसेंसों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है।

28. बिजनेस प्लान को अंतिम रूप देने में 30-40 दिन लग सकते हैं। हम व्यवसाय योजना को अंतिम रूप देने के बाद ही संभावित निवेशकों से संपर्क कर सकते हैं। घटनाओं के इस क्रम का मतलब 16 जनवरी 2015 की तारीख का पालन करने के लिए एक बहुत ही विस्तारित समय-रेखा होगी।

उ. भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2015 तक बढ़ा दी गई है।

29. सीमा पार लेनदेन का दायरा:

ए. क्या इसमें आवक और जावक दोनों प्रकार के प्रेषणों की प्रकृति का व्यापार लेनदेन शामिल होगा?

बी. क्या बैंक अपने ग्राहकों को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और प्लेन ऑप्शंस जैसे हेजिंग समाधान प्रदान करने में सक्षम होगा। सीमा पार प्रेषण के लिए भुगतान बैंक का उपयोग करने वाले कॉरपोरेट्स के लिए हेजिंग समाधान एक अभिन्न आवश्यकता होगी?

सी. क्या लेन-देन के आकार पर कोई प्रतिबंध होगा जिसे बैंक संसाधित कर सकता है और हेजिंग सीमा का आकार जिसे बैंक स्वीकृत कर सकता है?

30. पैरा 4 गतिविधियों का दायरा "... भुगतान बैंकों को व्यक्तिगत भुगतान / चालू खाते पर प्रेषण की प्रकृति में सीमा पार प्रेषण लेनदेन को संभालने की अनुमति दी जाएगी।" क्या उक्त पैराग्राफ में दिए गए व्यक्तिगत भुगतान/विप्रेषण में व्यापार उद्देश्यों के लिए शुरू किए गए और किए गए लेनदेन शामिल हैं, चाहे छोटे व्यवसायों द्वारा या किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संगठन (साझेदारी फर्मों, सीमित कंपनियों, व्यक्तियों के निकाय सहित)द्वारा।

31. क्या भुगतान बैंक जावक और आवक विदेशी प्रेषण को संभाल सकता है?

उ. (29 से 31) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अधिकृत व्यक्ति लाइसेंस के प्रकार के आधार पर सीमा पार लेनदेन में आवक और जावक दोनों प्रेषण शामिल होंगे।

32. क्या आवेदन दाखिल करने के दिन न्यूनतम चुकता पूंजी की आवश्यकता है?

उ. आवेदन करते समय, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को एक योजना और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करनी होगी, जिसे वे दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अपनाएंगे। बैंक की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिए जाने के बाद, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने के भीतर या संचालन शुरू होने की तारीख के अनुसार, जो भी पहले हो, सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

33. संभावित आवेदकों के हमारे प्रारंभिक अध्ययन से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश के पास या तो घरेलू भुगतान या सीमा पार भुगतान में विशेषज्ञता है और दोनों में नहीं। इसलिए, क्या सीमा पार भुगतान या घरेलू भुगतान और दोनों पर प्रारंभिक ध्यान देने वाला कोई आवेदन पात्र नहीं होगा? ऐसे आवेदक अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता/पेशकश बनाने के लिए समय मांग सकते हैं।

उ. उम्मीद की जाती है कि भुगतान बैंक मुख्य रूप से घरेलू भुगतान सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

34. क्या किसी व्यक्ति/पेशेवर को लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए धन स्रोत दिखाने की आवश्यकता होगी या वह लाइसेंस प्राप्त करने में सफल होने पर ही पूंजी के लिए धन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है?

35. संबंधित प्रश्न - क्या व्यक्ति/पेशेवर को अपेक्षित कॉर्पोरेट संरचना के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता होगी या क्या वह व्यापक धन स्रोतों/शेयरधारिता का संकेत दे सकता है?

उ. (34 से 35) आवेदन करते समय, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को एक योजना और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करनी होगी, जिसे वे दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अपनाएंगे। बैंक की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिए जाने के बाद, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को सभी 11 आवश्यकताओं का पालन करना होगा और सैद्धांतिक अनुमोदन की तिथि से 18 महीने के भीतर या तिथि के अनुसार संचालन शुरू करने का जो भी पहले हो। दिशानिर्देशों के अनुबंध से संकेत मिलता है कि आवेदकों को उन व्यक्तियों/संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए, जो प्रस्तावित बैंक और प्रस्तावित निवेशकों की पूंजी के स्रोत, विदेशी इक्विटी भागीदारी सहित प्रस्तावित बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी (शेयरहोल्डिंग पैटर्न) के 5 प्रतिशत या उससे अधिक की सदस्यता लेंगे। इसका अनुपालन करना होगा।

36. क्या कोई मौजूदा पीपीआई जो इंटरनेट पर प्रीपेड उपकरणों की पेशकश करता है, भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है और शाखा रहित भुगतान बैंक की पेशकश कर सकता है?

37. क्या भुगतान बैंक के पास केवल 1 भौतिक शाखा कार्यालय हो सकता है लेकिन अखिल भारतीय आधार पर काम कर सकता है?

उ. (36 से 37) दिशानिर्देशों के पैरा 4 (v) के अनुसार, आरबीआई इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने वाले भुगतान बैंक के लिए खुला है। हालाँकि, आरबीआई भुगतान बैंकों को "वर्चुयल" बैंक या शाखा रहित बैंक नहीं मानता है। इसके अलावा, जैसा कि दिशानिर्देशों के पैरा 13 (i) में कहा गया है, भुगतान बैंक के लिए ग्रामीण केंद्रों में बीसी सहित कम से कम 25 प्रतिशत भौतिक पहुंच बिंदु होना आवश्यक होगा और विभिन्न आउटलेट्स पर नियंत्रण और ग्राहक शिकायत निवारण के लिए पहुंच बिंदुओं के समूह के लिए एक नियंत्रण कार्यालय भी स्थापित किया जाना चाहिए।

38. क्या ऋण देने वाले व्यवसाय में कोई एनबीएफसी भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है यदि इसकी योजना एक अलग कॉर्पोरेट इकाई स्थापित करने की है, जो इसके अन्य व्यवसायों से अलग है लेकिन अन्य व्यवसायों से ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक व्यवस्था है।

उ. हां

39. क्या भुगतान बैंक अपने ग्राहकों के लिए अपना पुरस्कार/शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है?

उ. आरबीआई द्वारा बैंकों को जारी किए गए मौजूदा निर्देश भुगतान बैंकों पर भी लागू होंगे।

40. क्या भुगतान बैंक अपना स्वयं का एटीएम स्थापित कर सकता है? यदि कोई भुगतान बैंक अपना एटीएम स्थापित करता है, तो क्या उसे स्वयं नकद कार्यों को संभालने की अनुमति दी जाएगी या उसे इसके लिए किसी अनुसूचित बैंक के साथ गठजोड़ करना होगा?

उ. हां. जैसा कि दिशानिर्देशों के पैरा 4 में कहा गया है, भुगतान बैंक को अपने स्वयं के आउटलेट जैसे शाखाएं, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम), व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी), आदि स्थापित करने की अनुमति होगी। बैंक अपने आप नकदी को संभालने या अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ टाई-अप व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा।

41. क्या भुगतान बैंकों को समाशोधन गृह के समाशोधन सदस्य बनने की अनुमति दी जाएगी या क्या उन्हें अन्य समाशोधन बैंकों के माध्यम से अपना निपटान करना होगा?

उ. भुगतान बैंक पहुंच मानदंड के अधीन समाशोधन सदस्य बनने के पात्र हैं।

42. भुगतान बैंक के मामले में, भुगतान बैंक के लिए राजस्व का स्रोत क्या होगा? पता चला है कि कंपनी छोटी जमा राशि स्वीकार कर सकती है। क्या आप इस बारे में स्पष्टता दे सकते हैं कि बैंक को एकत्र की गई जमाराशियों के साथ क्या करने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि उसे कोई उधार व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है?

उ. भुगतान बैंक द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियों को दिशानिर्देशों के पैरा 4 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है।

43. इस उद्देश्य से 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी है या नहीं पर जोर दिया गया है कि बैंक अपने भुगतान संचालन को पूंजी स्रोत से निधि देगा?

उ. हां. 13

44. क्या यह आवश्यक है कि भुगतान बैंक की पूर्ण शाखाएँ हों? क्या आरबीआई ने किसी न्यूनतम संख्या में शाखाओं को ध्यान में रखा है जो इन बैंकों को चरणबद्ध तरीके से होनी चाहिए?

उ. दिशा-निर्देशों के पैरा 13(ii) में निर्धारित किए गए अनुसार व्यवसाय योजना में बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में एक्सेस प्वाइंट खोलने का प्रस्ताव शामिल होना चाहिए। शर्त कुल शाखा नेटवर्क के लिए है।

45. क्या कोई व्यक्ति वर्तमान में एक एनआरआई आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह बैंक की स्थापना के लिए वापस लौटने का फैसला करता है?

उ. हां.

46. एनबीएफसी आदि जैसी संस्थाओं का स्वामित्व और नियंत्रण निवासियों के पास होना चाहिए। क्या ऐसी कंपनियां और सोसायटियां पूरी तरह से (100%) निवासियों के स्वामित्व में होनी चाहिए? नियंत्रण की परिभाषा क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि बोर्ड को पूरी तरह से निवासी होना चाहिए या कार्यकारी प्रबंधन को पूरी तरह से निवासी होना चाहिए?

47. दिशानिर्देशों की आवश्यकता है कि निवासियों के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियां पात्र होंगी। हालाँकि "स्वामित्व" और "नियंत्रण" शब्द परिभाषित नहीं किए गए हैं। क्या इन शब्दों का वही अर्थ होगा जो एफडीआई नीति में परिभाषित है?

48. क्या व्यक्ति / पेशेवर एनआरआई / अनिवासी हो सकते हैं जो प्रमोटर के रूप में कार्य कर सकते हैं क्योंकि व्यक्त शब्द "निवासी" निर्दिष्ट नहीं है?

उ. (46 से 48) यह परिभाषा सरकार की एफडीआई नीति और समय-समय पर संशोधित फेमा विनियमों के अनुसार है। नवीनतम एफडीआई नीति और फेमा विनियमों के अनुसार, एक कंपनी 'निवासियों के स्वामित्व' वाली एक भारतीय कंपनी होगी यदि इसमें 50% से अधिक पूंजी निवासी भारतीय नागरिकों और/या भारतीय कंपनियों के स्वामित्व में है, जो अंततः निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। किसी कंपनी को निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा 'नियंत्रित' माना जाएगा, यदि निवासी 14 भारतीय नागरिक और भारतीय कंपनियां, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास है, के पास उस कंपनी में अपने अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति है।

49. क्या एक मौजूदा पीपीआई जो भुगतान बैंक में परिवर्तित होने की मांग कर रहा है, को निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण की आवश्यकता होगी? यदि हां, तो क्या आप यह भी पुष्टि कर सकते हैं कि क्या 'स्वामित्व और नियंत्रित' की डीआईपीपी परिभाषा का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है?

50. क्या मौजूदा पीपीआई जारीकर्ताओं के लिए भुगतान बैंकों में परिवर्तित करने के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण के लिए आवश्यक है? कृपया स्पष्ट कीजिए।

क.(49 से 50) हाँ। भुगतान बैंक में परिवर्तित होने के इच्छुक मौजूदा पीपीआई को निवासियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रण की आवश्यकता होगी। यह परिभाषा सरकार की एफडीआई नीति और समय-समय पर यथा संशोधित फेमा विनियमों के अनुसार है। नवीनतम एफडीआई नीति और फेमा विनियमों के अनुसार, 'निवासियों के स्वामित्व वाली' कंपनी एक भारतीय कंपनी होगी, यदि इसमें 50% से अधिक पूंजी निवासी भारतीय नागरिकों और / अथवा भारतीय कंपनियों के स्वामित्व में है, जो अंततः निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। एक कंपनी को निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा 'नियंत्रित' माना जाएगा यदि निवासी भारतीय नागरिक और भारतीय कंपनियां, जो निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं, के पास उस कंपनी में अपने अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति है।

51. भुगतान बैंक कोई क्रेडिट जोखिम नहीं लेगा, जबकि छोटा बैंक उन सभी जोखिमों को उठाएगा जो एक भुगतान बैंक ले रहा होगा और इसके अतिरिक्त क्रेडिट जोखिम भी लेगा। यह देखते हुए कि छोटे बैंक अधिक जोखिम उठा रहे होंगे, भुगतान बैंक और छोटे बैंक के लिए अलग-अलग नेटवर्थ आवश्यकताओं के बारे में विचार किया जा सकता है।

क. लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों की न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपये है।

52. क्या गैर प्रत्यावर्तन आधार पर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से एनआरआई शेयरधारिता के साथ भारत में निगमित सुपर मार्केट चेन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे?

क. दिशानिर्देशों के पैरा 3 के अनुसार, सुपर-मार्केट चेन, जो निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं, भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए प्रवर्तक के रूप में पात्र होंगे।

आवेदन करते समय, प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को स्वामित्व और नियंत्रण सहित दिशा-निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अपनाई जाने वाली एक योजना और पद्धतियां प्रस्तुत करनी होंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिए जाने के पश्चात् प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 माह के भीतर अथवा परिचालन शुरू करने की तारीख, जो भी पहले हो, सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

53. हमारी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया है। क्या पेमेंट्स बैंक बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण पूरा किया जा सकता है?

क. आवेदन करते समय, प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अपनाई जाने वाली एक योजना और पद्धतियां प्रस्तुत करनी होंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिए जाने के बाद प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने के भीतर अथवा परिचालन शुरू करने की तारीख, जो भी पहले हो, सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

54. इस परिदृश्य में कि हमारी कंपनी भुगतान बैंक बन जाती है और हमारी कंपनी में वर्तमान में केवल 2 प्रवर्तक हैं जो हमारी कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी का 40% धारण करेंगे। हालांकि, दोनों प्रवर्तक केवल 10% वोटिंग अधिकार का उपयोग करने के हकदार होंगे। तदनुसार, पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए, हमारी कंपनी को दो प्रवर्तकों को विभेदक मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करने होंगे, जिसके लिए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 (ए) (ii) के तहत निर्धारित शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता होगी। उक्त नियमों के अनुसार किसी भी समय जारी किए गए विभेदक अधिकारों वाले इक्विटी शेयरों सहित किसी कंपनी की कुल निर्गम पश्चात प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के छब्बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। कृपया स्पष्ट करें कि नियमों की आवश्यकताओं के साथ-साथ पीबी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कैसे हमारी कंपनी को अपने शेयरहोल्डिंग पैटर्न और प्रमोटरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मतदान अधिकारों की संरचना करने की आवश्यकता होगी।

क. निजी क्षेत्र के बैंकों में धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार के प्रयोजन के लिए, ये मताधिकार कृपया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 (2) के प्रावधानों द्वारा निर्देशित हों। जहां तक कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न का संबंध है, यह भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

55. क्या 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी में प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि शामिल होगी? (प्रतिभूति प्रीमियम खाते का वह हिस्सा जो इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य के अलावा प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम के रूप में एकत्र की गई राशि का प्रतिनिधित्व करता है)।

56. क्या भुगतान बैंक के पूंजीकरण की गणना के लिए प्रतिभूति प्रीमियम पर विचार किया जाएगा?

A. (55 से 56) 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता में शेयर प्रीमियम शामिल होगा बशर्ते शेयरों का कोई अंतर मूल्य निर्धारण न हो।

57. पैरा 4 गतिविधियों का दायरा "..... भुगतान बैंक शुरू में प्रति व्यक्तिगत ग्राहक 100,000 रुपये की अधिकतम शेष राशि रखने के लिए प्रतिबंधित होगा ... भुगतान बैंक दिन के अंत में प्रदान किए गए कई खातों में प्रेषित किए जाने वाले धन का एक बड़ा पूल स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि शेष राशि 100,000 रुपये से अधिक नहीं है"। कृपया उस स्थिति में मार्गदर्शन करें जब सप्ताहांत में और जहां लगातार बैंक की छुट्टियां होती हैं और खाते में शेष राशि 100,000 रुपये की सीमा (को पार कर जाती है) का उल्लंघन करती है।

क. किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर शेष राशि प्रति व्यक्तिगत ग्राहक 100,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

58. पैरा 13 - अन्य शर्तें "... भुगतान बैंक को ग्रामीण केंद्रों में बीसी सहित कम से कम 25 प्रतिशत भौतिक पहुंच बिंदुओं की आवश्यकता होगी। इसके अलावा विभिन्न आउटलेट्स और ग्राहक शिकायत निवारण पर नियंत्रण के लिए एक्सेस पॉइंट्स के एक क्लस्टर के लिए एक नियंत्रण कार्यालय भी स्थापित किया जाना चाहिए।"

पीपीआई व्यवसाय के वर्तमान सेट अप में, "भौतिक पहूंच बिन्दु" संबंधी भुगतान बैंक दिशानिर्देशों के संदर्भ में खुदरा बिन्दुओं के अलावा दो प्रकार की इकाइयां निगरानी और नियंत्रण का प्रयोग करती हैं, जिसमें कम से कम एक कंपनी के सहबद्ध होल्डिंग कार्यालय है:
क. वितरक साझेदार
ख. बिसनेस करेस्पोन्डेंड / पीपीआई एजेंट

क्या "नियंत्रण कार्यालय" की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से इसी तंत्र को अपनाया जाएगा। क्या इन्हें नियंत्रक कार्यालयों के रूप में नामित किया जा सकता है?

क. नियंत्रक कार्यालयों का संचालन भुगतान बैंक के कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और इसलिए बीसी आउटलेट को नियंत्रण कार्यालयों के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है।

59 भुगतान बैंक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई प्रवर्तक /प्रवर्तक इकाई इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी स्थापित कर सकता है अथवा नहीं, इस पर दिशानिर्देश मौन हैं।

उपर्युक्त संरचना में:
क. क्या शेयरहोल्डिंग लॉक-इन की आवश्यकता इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी स्तर पर अथवा उक्त इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी के प्रवर्तक / निवेशक स्तर पर लागू होगी। दूसरे शब्दों में, क्या 18 इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी के शेयरधारक 5 वर्ष के भीतर उक्त कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं?

ख. क्या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी में शेयरधारिता उपर्युक्त सीमाओं के भीतर प्रवर्तक समूह के बीच पारस्परिक रूप से बदल सकती है?

क. भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए होल्डिंग कंपनी की स्थापना के लिए दिशानिर्देश की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मध्यवर्ती कंपनी है, तो यह एक एनओएफएचसी होनी चाहिए और निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंस पर दिनांक 22 फरवरी 2013 के हमारे दिशानिर्देशों में निर्धारित एनओएफएचसी से संबंधित सभी आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।

60. क्या निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण वाला एक कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ('बीसी'), भुगतान बैंक में परिवर्तित हो सकता है?

क. हां
61. क्या प्रवर्तक /प्रवर्तक ग्रुप कंपनी को प्रस्तावित भुगतान भुगतान बैंक के बीसी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है?

क. हां, आर्म्स लेंग्थ आधार पर और बीसी पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन

62. क्या भुगतान बैंक का बीसी किसी अन्य बैंक के लिए ऋण सोर्सिंग जैसी व्यावसायिक सुविधा गतिविधियों को करने में सक्षम होगा?

क. हां, बीसी नियुक्त करने वाले बैंकों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन।

63. क्या कोई भुगतान बैंक आधार नामांकन आदि जैसी गैर-जोखिम वाली सरकारी सेवाएं शुरू कर सकता है?

क. हाँ। दिशानिर्देशों के अनुसार, भुगतान बैंक अन्य गैर-जोखिम साझा करने वाली सरल वित्तीय सेवा गतिविधियों को प्रारम्भ कर सकते हैं, जिनके लिए अपने स्वयं के धन की किसी प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है।

64. दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि अपनी बाहरी मांग और सावधि देनदारियों पर सीआरआर के रूप में रखी जाने वाली राशियों के अलावा, भुगतान बैंक को अपनी मांग जमा शेष राशि का न्यूनतम 75 प्रतिशत एसएलआर के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों / ट्रेजरी बिलों में निवेश करना आवश्यक होगा और अन्य अनुसूचित बैंकों के साथ वर्तमान और समय / सावधि जमा में अधिकतम 25 प्रतिशत रखना होगा। इस संबंध में, क्या सीआरआर को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 प्रतिशत नकद भंडार को जी-सेक में न्यूनतम 75 प्रतिशत रखने की आवश्यकता के लिए गिना जा सकता है अथवा 4 प्रतिशत सीआरआर जी-सेक में 75 प्रतिशत के अतिरिक्त है?

क. सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों में निवेश की जाने वाली राशि, सीआरआर को बनाए रखने के अतिरिक्त होगी।

65. क्या भुगतान बैंक को बढ़ावा देने वाली इकाई का निदेशक/व्यक्तिगत शेयरधारक ऐसे बैंक का अध्यक्ष बन सकता है?

क. हां, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथा उपबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन।

66. क्या प्रवर्तक इकाई और भुगतान बैंक में एक ही निदेशक हो सकते हैं?

क. प्रवर्तक इकाई और बैंक के लिए एक निदेशक हो सकते हैं। हालांकि प्रवर्तक इकाई के निदेशक को बैंक का स्वतंत्र निदेशक नहीं माना जा सकता।

67. हमें भुगतान बैंक के लिए दिशानिर्देश मिल गए हैं। इस संबंध में हम लाइसेंस के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं। चूंकि उपलब्ध समय कम है, क्या मैं आपसे सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा को कम से कम एक महीने तक बढ़ाने का अनुरोध कर सकता हूं?

क. भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 फरवरी 2015 कर दी गई है।

68. हमने इसे नोट कर लिया हैं कि प्रवर्तक (यदि यह एक कंपनी है) ("प्रवर्तक कंपनी") का स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसलिए, हम समझते हैं कि ऐसी प्रवर्तक कंपनी में विदेशी निवेश की अनुमति 49% तक दी जाएगी, जब तक कि विदेशी निवेशक प्रवर्तक कंपनी पर नियंत्रण नहीं रखता है। इस संबंध में, कृपया निम्नानुसार स्पष्ट करें:

(i) क्या प्रवर्तक कंपनी में ऐसे विदेशी शेयरधारक की "सटीक और उपयुक्त" स्थिति (ट्रैक रिकॉर्ड सहित) पर "सटीक और उपयुक्त" स्थिति संबंधी आवेदन और निर्धारण के मूल्यांकन के उद्देश्य से विचार किया जाएगा?

(ii) यदि हां, तो क्या प्रवर्तक कंपनी के निवासी शेयरधारक के पास भी ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए?

(iii) क्या भुगतान बैंक में प्रत्यक्ष विदेशी शेयरधारक के अनुभव (चूंकि विदेशी निवेश की अनुमति 74% तक है) को "सटीक और उपयुक्त" स्थिति के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाएगा?

क. (i से iii) आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तरों पर सटीक और उपयुक्त प्रयोग किया जाएगा ।

69. क्या सभी गैर-भारतीय नागरिकों को भुगतान बैंक के साथ ग्राहक संबंध से बाहर रखा गया है? चूंकि सीमा पार विप्रेषण लेनदेन की अनुमति है (खंड 4 (viii) के अनुसार), क्या भुगतान बैंक में अनुरक्षित खाते में इन-बाउंड प्रेषण को जमा के रूप में माना जाएगा? (खंड 4(i) देखें) ।

70. दिशानिर्देश विनियमन 4 (i) में यह स्पष्ट किया गया है कि "कोई भी एनआरआई जमा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, विनियमन 4 (viii) में कहा गया है कि "भुगतान बैंकों को चालू खाते पर व्यक्तिगत भुगतान / प्रेषण की प्रकृति में क्रॉस विप्रेषण लेनदेन को संभालने की अनुमति दी जाएगी। इस बात की पुष्टि मांगी गई है कि एनआरआई से आने वाले विदेशी विप्रेषणों को भुगतान बैंक खातों में अनुमति दी जाएगी ।

क. (69 से 70) दिशानिर्देशों के अनुसार, भुगतान बैंक किसी भी एनआरआई जमा को स्वीकार नहीं कर सकता। भुगतान बैंक में निवासियों द्वारा बनाए गए खातों में इन-बाउंड विप्रेषण को जमा के रूप में माना जाएगा।

71. यदि अपनी सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) व्यवस्था की जाती है, तो क्या ऐसे बीसी, बीसी के लिए मौजूदा बैंकिंग नियमों के अधीन होगा? (खंड 4(iii)देखें)? क्या ऐसे नियम तब भी लागू होंगे जब बीसी को पहले से ही किसी अन्य नियामक द्वारा विनियमित किया जाता है? उदाहरण के लिए डीओटी?

क. हां, अगर किसी तीसरे पक्ष के साथ बीसी की व्यवस्था की जाती है, तो यह व्यवस्था बीसी पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन होनी चाहिए।

72. क्या भुगतान बैंकों को एनपीसीआई के नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म (एनयूयूपी) से जुड़ने की अनुमति दी जाएगी? (खंड 4(vii) देखें) ?

क. हां

73. "उपयोगिता बिल" के रूप में क्या माना जाता है? उदाहरण के लिए, क्या पोस्ट-पेड आधार पर तीसरे पक्ष के उत्पादों / सेवाओं के लिए किए गए भुगतान को "उपयोगिता बिल" के दायरे के भीतर अथवा "क्रेडिट" के रूप में माना जा सकता है? (खंड 4(x) देखें)।

क. "उपयोगिता बिल" का मतलब बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि होगा। पोस्ट-पेड आधार पर ऐसे तीसरे पक्ष के उत्पादों / सेवाओं के लिए किए गए भुगतान को क्रेडिट के रूप में माना जाएगा और इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

74. हमने नोट किया है कि प्रवर्तक कंपनी को व्यवसाय शुरू होने से पहले 5 वर्षों के लिए भुगतान बैंक में कम से कम 40% शेयरधारिता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, कृपया निम्नानुसार स्पष्ट करें:

(i) लॉक-इन अवधि किस तारीख से लागू होती है? लाइसेंस प्रदान करने की तारीख से अथवा परिचालन शुरू होने की तारीख से?
(ii) किसकी शेयरधारिता उक्त लॉक-इन के अधीन है: (क) प्रवर्तक कंपनी द्वारा धारित शेयरधारिता अर्थात् वह कंपनी जिसने भुगतान बैंक के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है; (ख) भुगतान बैंक का विदेशी शेयरधारक (जो ऐसी प्रवर्तक कंपनी का शेयरधारक भी हो सकता है); अथवा (ग) दोनों।

क. (i) दिशानिर्देशों के अनुसार, भुगतान बैंक के प्रवर्तकों को बैंकिंग लाइसेंस की तारीख से पहले पांच वर्षों के लिए अपनी चुकता इक्विटी पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत रखना चाहिए।
ख. (ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता लॉक-इन अर्थात उपर्युक्त विकल्प (क) के अधीन होगी।

75. क्या प्रवर्तक कंपनी की शेयरहोल्डिंग पर कोई लॉक-इन अथवा अन्य प्रतिबंध हैं?

क. आवेदन के समय और आवेदन एवं सैद्धांतिक अनुमोदन के बीच की अवधि के दौरान और उसके बाद भी प्रवर्तक इकाई में शेयरधारिता पैटर्न में कोई प्रस्तावित भौतिक परिवर्तन को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व संज्ञान में लाअथवा जाना चाहिए।

76. दिशानिर्देशों/प्रतिबंधों का सेट जो भुगतान बैंक बीसी बिंदुओं के लिए लागू होगा।

क. बीसी को नियुक्त करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू दिशानिर्देश भुगतान बैंकों पर भी लागू होंगे।

77. सीमा पर प्रतिबंध के कारण भुगतान बैंक का मुख्य व्यवसाय अर्थात भुगतान और प्रेषण प्रभावित हो सकता है। केवल दिन के अंत की शेष राशि 100,000 रुपये तक सीमित रखते हुए दिन के दौरान अन्य खातों में प्रेषण के लिए धन के एक बड़े पूल की स्वीकृति से कुछ राहत मिलती है, फिर भी यह इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी अन्य खाते में धन अंतरित करने के मामले में दक्षता को प्रभावित कर सकता है।

क्या हम यह सुझाव दे सकते हैं कि भुगतान बैंक द्वारा बचत खातों और चालू खाते के लिए एक बढ़ी हुई सीमा को औसत त्रैमासिक शेष के रूप में अलग-अलग माना जाए क्योंकि यह मॉडल जमा धारकों के साथ-साथ आरबीआई और सरकार के वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के अनुरूप है।

क. प्रति व्यक्तिगत ग्राहक 1,00,000 रुपये की वर्तमान सीमा जारी रहेगी ।

78. कुछ पीपीआई 5 वर्ष से भी कम समय से परिचालन में हैं, और भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर विचार कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आवेदक इकाई के 5 वर्ष के वित्तीय रिकॉर्ड जमा करने की आवश्यकता को पूरा करने के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें।

79. ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इश्यू (पीपीआई) के लिए पीएसएस अधिनियम के तहत पंजीकृत इकाई के मामले में, जो 5 वर्ष से कम समय से व्यवसाय में है, क्या आरबीआई द्वारा ऐसी इकाई को बैंक में परिवर्तित करने पर विचार किया जाएगा (यह देखते हुए कि पीपीआई को पिछले तीन वर्षों में आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है)?

क.(78 से 79 तक) दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई आवेदकों और समूह संस्थाओं की 'सटीक और उपयुक्त' स्थिति का आकलन उनके मज़बूत प्रत्यय-पत्र और ईमानदारी; वित्तीय सुदृढ़ता संबंधी पिछले रिकार्ड और कम से कम 5 वर्ष के पेशेवर अनुभव अथवा अपने कारोबार को चलाने में सफल ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर करेगा। पांच वर्ष से कम ट्रैक रिकॉर्ड वाले पीपीआई जारीकर्ताओं के प्रमोटरों के लिए, पीपीआई व्यवसाय से पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा।

80. चूंकि प्रवर्तक कंपनी में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है, क्या ऐसे विदेशी शेयरधारक सीधे भुगतान बैंक में 74% रख सकता है? क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी शेयरधारिता को 74% की समग्र सीमा की गणना के लिए एकत्रित किया जाएगा?

क. प्रश्न के दोनों भागों का उत्तर "नहीं" है।

81. इस खंड में प्रावधान है कि "... निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारकों के मतदान अधिकार की सीमा 10 प्रतिशत तय की गई है। इस वाक्यांश की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए? उदाहरण के लिए, यदि भुगतान बैंक में केवल दो शेयरधारक हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 10% मतदान अधिकार हैं, तो शेष 80% का क्या होगा? क्या मतदान अधिकारों की सीमा निदेशक मंडल अथवा शेयरधारकों, अथवा दोनों की बैठकों के लिए मान्य होगी?

82. हमने खंड 7 में यह नोट किया है कि, चूंकि भुगतान बैंक उधार देने की गतिविधियों को शुरू नहीं कर सकते हैं, इसलिए सार्वभौमिक वाणिज्यिक बैंकों के मामले के विपरीत, उनके लिए विविध स्वामित्व होना अनिवार्य नहीं है। उपर्युक्त को देखते हुए, प्रत्येक शेयरधारक के मतदान अधिकारों पर 10% की सीमा लगाने का तर्क क्या है?

अ. (81 से 82 तक) मतदान अधिकारों की सीमा बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार है, जो वर्तमान में 10 प्रतिशत है। मतदान अधिकारों की सीमा शेयरधारकों के लिए है।

83. क्या 10% की सीमा प्रत्येक शेयरधारक पर लागू होगी जिसके नाम के तहत शेयर रखे गए हैं, अथवा प्रत्येक "शेयरधारक समूह" जिसमें सहयोगी और संबंधित संस्थाएं शामिल हैं? यदि ऐसी सीमा प्रत्येक शेयरधारक समूह पर लागू होगी, तो संस्थाओं को एक साथ जोड़ने का आधार क्या होगा?

क. मतदान अधिकारों की सीमा प्रति व्यक्ति है जैसा कि बीआर अधिनियम 1949 की धारा 12 (2) में दर्शाया गया है।

84. क्या भुगतान बैंक के शेयरधारक शेयरधारकों /संयुक्त उद्यम समझौते के माध्यम से, किसी विशेष शेयरधारक के लिए मतदान अधिकार को 10% से भी कम तक सीमित कर सकते हैं, जो चुकता शेयर पूंजी का 10% से अधिक है)?

85. यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो क्या प्रत्येक शेयरधारक की शेयरधारिता के आधार पर मतदान अधिकारों को आनुपातिक रूप से कम किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, यदि एक शेयरधारक 60% रखता है और उसके मतदान अधिकार 10% तक सीमित हैं, तो क्या 40% रखने वाले अन्य शेयरधारक के मतदान अधिकारों को 6.67% तक सीमित किया जा सकता है?

क. (84 से 85 तक) भुगतान बैंक अलग-अलग मतदान अधिकार जारी कर सकते हैं, बशर्ते न्यूनतम इक्विटी पूंजी वोटिंग इक्विटी हो। आज की तारीख में मतदान का अधिकार प्रति शेयरधारक (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 (2) 10 प्रतिशत तक सीमित है। 26 प्रतिशत मतदान अधिकार से संबंधित प्रावधान भविष्य के लिए एक सक्षम प्रावधान है।

86. पैराग्राफ I(3) में, प्रवर्तक समूह की सभी संस्थाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। क्या यह आवश्यकता केवल प्रवर्तक कंपनी के प्रत्यक्ष शेयरधारकों तक ही सीमित है अथवा क्या यह प्रवर्तक कंपनी के अप्रत्यक्ष शेयरधारकों और अंतिम शेयरधारकों के सामान्य नियंत्रण में आनेवाली संस्थाओं के लिए भी लागू है?

क. दिशानिर्देशों के अनुलग्नक से संकेत मिलता है कि प्रवर्तक समूह में व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम, सभी संस्थाओं की शेयरधारिता, प्रबंधन और कॉर्पोरेट संरचना का विवरण, संस्थाओं की संरचना, शेयरधारिता और कुल संपत्ति को दर्शाने वाला एक सचित्र ऑर्गनोग्राम प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में प्रवर्तक समूह को सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2009 द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

87. (क) हमारी कंपनी भारत में कंपनी अधिनियम के अनुसार शामिल है इसलिए आवेदन करने के लिए पात्र होनी चाहिए। हालांकि यह ध्यान दिया जाए कि भारतीय शेयरधारिता 25% है और विदेशी शेयरधारिता 75% है। कंपनी की विदेशी शेयरधारिता (75%) और नियंत्रण संरचना को ध्यान में रखते हुए, कृपया पुष्टि करें कि क्या कंपनी प्रवर्तक के रूप में "भुगतान बैंक" लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।
(ख) चूंकि हमारी कंपनी एक विदेशी शेयरधारक के स्वामित्व में है, कृपया स्पष्ट करें कि क्या यह प्रमोटरों के शेयरहोल्डिंग पैटर्न को भी कवर करता है।

क. (क & ख) आवेदन करते समय, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए एक योजना और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करनी होगी। बैंक की स्थापना के लिए आरबीआई द्वारा 'सैद्धांतिक मंजूरी' दिए जाने के बाद प्रमोटर्स/प्रवर्तक ग्रुप को सैद्धांतिक मंजूरी की तारीख से 18 महीने के भीतर अथवा परिचालन शुरू होने की तारीख से, जो भी पहले हो, सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

88. वर्तमान में, हमारी कंपनी एक ऑनलाइन प्रेषण नेटवर्क, प्लेटफ़ॉर्म सेवा प्रदाता/भुगतान एग्रीगेटर है और इसने आरबीआई को मनी ट्रांसफर ऑपरेटर के रूप में या अपनी सहायक कंपनी के रूप में कार्य करने में सक्षम होने के लिए आवेदन किया है और आरबीआई से उत्तर

की प्रतीक्षा कर रहा है। यह देखते हुए कि हमारी कंपनी को आरबीआई की अनुमति दी गई है और यदि यह भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करती है, तो क्या कंपनी ग्राहक को अपनी सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकती है जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित है कि भुगतान बैंक की गतिविधियों के दायरे को देखते हुए सीमा पार प्रेषण भी शामिल है।

क. हां

89. आज की तारीख में हमारी कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी लगभग 13 करोड़ रुपये है। हालांकि, पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट किए गए अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। कृपया पुष्टि करें कि क्या भुगतान बैंकों के लिए आवेदन के समय प्रवर्तक अर्थात टीओएमएल द्वारा 100 करोड़ रुपये की पूंजी की आवश्यकता अनिवार्य है अथवा बाद के चरण में पूंजी डाली जा सकती है? हमारी कंपनी अपेक्षित अनुसार भुगतान बैंक इकाई के लिए एकमात्र शेयरधारक होगी। इसलिए, भुगतान बैंक में 100% केवल भारतीय इकाई के पास होगा।

क. आवेदन करते समय, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए उनके द्वारा अपनाई जानेवाली योजना और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करनी होगी। बैंक की स्थापना के लिए आरबीआई द्वारा 'सैद्धांतिक मंजूरी' दिए जाने के बाद प्रमोटर्स/प्रवर्तक ग्रुप को सैद्धांतिक मंजूरी की तारीख से 18 महीने के भीतर अथवा परिचालन शुरू होने की तारीख से, जो भी पहले हो, सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

90. कृपया पुष्टि करें कि क्या स्वतंत्र निदेशकों की पहचान आवेदन के समय अथवा निगमन के समय अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान की जानी है।

क. बैंक के स्वतंत्र निदेशकों के नाम सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के बाद रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

91. इसके अलावा, क्या प्रवर्तकों के बोर्ड और भुगतान बैंक में एक समान स्वतंत्र निदेशक हो सकता है?

92. क्या भुगतान बैंक के बोर्ड में नामित किए गए प्रमोटरों के स्वतंत्र निदेशकों को, भुगतान बैंक के लिए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में अर्हता प्राप्त होगी?

उ.(91से 92) नहीं

93. क्या प्रमोटर/आवेदकके एमओए में एक आवेदन दाखिल करने के समयविशेष रूप से बैंकिंग व्यापार का परिचालन करने के लिए एक कंपनी को बढ़ावा देने के लिए अपने वस्तु खंड में सक्षम करने वाला खंड होना चाहिए अथवा इसे बाद में एमओए में बदलाव किए बिना इसे सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्ति की तारीख से 18 महीने के भीतर भुगतान बैंक का गठन कर किया जा सकता है?

उ. यह पर्याप्त होगा, यदि एमओए में सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद और बैंक के लिए अंतिम लाइसेंस प्राप्त करते समय सक्षम खंड होगा।

94. कृपया पुष्टि करें कि वास्तव में सैद्धांतिक अनुमोदन में क्या शामिल होगा और

सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एक प्रमोटर के कर्तव्य और दायित्व क्या होंगे?

उ. सैद्धांतिक अनुमोदन में वे शर्तें होंगी जिनका पालन प्रमोटर द्वारा बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। शर्तों को मुख्य रूप से दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट और प्रमोटरों के विशिष्ट आवेदन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

95. क्या विदेशी स्वामित्व वाली और नियंत्रित भारतीय संस्थाएं भुगतान बैंक में प्रवर्तक हो सकती हैं?

उ. नहीं। तथापि, आवेदन करते समय, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को दिशा-निर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए अपनाए जाने वाली एक योजना और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करनी होगी। बैंक की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिए जाने के बाद, प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने के भीतर अथवा परिचालन शुरू होने की तारीख जो भी पहले हो के अनुसार सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

96. क्या पीपीआई जारीकर्ता और भुगतान बैंक इकाई एक ही प्रवर्तक समूह के भीतर सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

उ. नहीं।

97. (ए) क्या अलग-अलग प्रवर्तक समूहों के बीच एक संयुक्त उद्यम भुगतान बैंक बना सकता है अथवा यह आवश्यक है कि किसी भी संयुक्त उद्यम में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल होना चाहिए।

(बी) क्या प्रमोटर का अनुसूचित बैंक के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ संयुक्त उद्यम हो सकता है?

(ग) क्या एकल प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित भुगतान बैंकों के विरुद्ध संयुक्त उद्यमों के लिए कोई वरीयता दी जाएगी।

उ. (ए तथा बी) संयुक्त उद्यम में अनिवार्य रूप से एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल होना चाहिए।

(सी) भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए संयुक्त उद्यमों को कोई विशेष वरीयता नहीं दी जाएगी।

98. क्या कोई विदेशी बैंकिंग इकाई जिसकी सीमा पार आधार पर भारत में एक शाखा है, (भारतीय शाखाओं की बैलेंस शीट को शामिल किए बिना) विदेशी निवेश दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन भुगतान बैंक में हिस्सेदारी हासिल कर सकती है।

उ. एक्सपोजर मानदंडों पर मास्टर परिपत्र के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को किसी बैंक के इक्विटी शेयरों में कोई नई हिस्सेदारी हासिल नहीं करनी चाहिए, यदि इस तरह के

अधिग्रहण से निवेशकर्ता बैंक/वित्तीय संस्थान की होल्डिंग निवेश प्राप्तकर्ता बैंक की इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाती है। विदेशी बैंकिंग संस्था द्वारा निवेश उपरोक्त जोखिम सीमा के अधीन है।

99. क्या व्यक्तिगत ग्राहक सीमा केवल मांग जमा पर लागू होती है और पीपीआई समय-समय पर जारी प्रचलित अनुदेशों के अनुसार जारी किए जा सकते हैं

उ. व्यक्तिगत ग्राहक सीमा पीपीआई बैलेंस पर भी लागू होती है।

100. क्या भुगतान बैंक द्वारा जारी किए गए पीपीआई भी सभी फंडिंग स्रोतों (क्रेडिट कार्ड, बैंक खातों से डेबिट) का उपयोग करने के लिए पात्र होंगे।

उ. क्रेडिट कार्ड की अनुमति नहीं है।

101. क्या भुगतान बैंक जारी किए गए पीपीआई पर ब्याज की पेशकश कर सकता है।

102. क्या ओपन लूप प्रीपेड उत्पादों के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (नीचे

कार्ड योजना की सदस्यता) लागू होगी।

103. क्या कोई भुगतान बैंक ग्राहकों को गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा पेश किए गए अनुभव के समान एकल साइन ऑन अनुभव प्रदान करने के लिए सेमी क्लोज्ड वॉलेट की पेशकश कर सकता है

उ. (101 से 103) ये पीएसएस अधिनियम के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे।

104. क्या चालू खाते के अंतर्गत विप्रेषण का अर्थ ऐसे विप्रेषण से है जो फेमा 1999 और उसके अंतर्गत जारी विनियमों के अंतर्गत परिभाषित चालू खाता लेनदेन की प्रकृति के हैं।

उ. हाँ।

105. क्या एक मौजूदा पीपीआई लाइसेंस धारक 100 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी के साथ है, लेकिन 100 करोड़ रुपये से कम की निवल आस्ति पूंजी की आवश्यकता को पूरा करती है।

उ. नहीं

106. दिशानिर्देशों के पैरा 13 में 'एक्सेस प्वाइंट' और 'अन्य नेटवर्क' का क्या मतलब है।

उ. एक्सेस पॉइंट शाखाओं, बीसी, एटीएम और अन्य नेटवर्क को संदर्भित करते हैं। अन्य नेटवर्क मोबाइल बैंकिंग, पीओ टर्मिनल आदि को संदर्भित करते हैं।

107. भुगतान बैंक सेवाओं का कौन सा सेट भुगतान बैंक के लिए एक्सेस प्वाइंट के लिए योग्य होगा।

उ. एक्सेस प्वाइंट को एक्सेस प्वाइंट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए डिपॉजिट की स्वीकृति और पुनर्भुगतान और प्रेषण/भुगतान सेवाओं की पेशकश करनी चाहिए।

108. क्या भुगतान बैंक के इच्छुक लोगों को भुगतान बैंक व्यवसाय शुरू करने के बाद 25% ग्रामीण पहुंच बिंदु की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा प्रदान की जाएगी।

उ. हाँ

109. क्या भुगतान बैंक के लिए कोर बैंकिंग समाधान लागू करना अनिवार्य है।

उ. कृपया दिशानिर्देशों के पैरा 13 (ii) का संदर्भ लें।

110. जहां प्रवर्तक समूह एक सूचीबद्ध कंपनी है, क्या प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता को सूचीबद्ध करना पर्याप्त है।यदि प्रवर्तक समूह में कई संस्थाएँ निगम निकाय हैं, तो क्या प्रवर्तक समूह में सभी शेयरधारकों का विवरण दिया जाना चाहिए। जहां तक पिछले पांच वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट का संबंध है, क्या प्रवर्तक संस्था के समेकित वित्तीय विवरण पर्याप्त हैं।

उ. आवश्यक अतिरिक्त जानकारी, व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम, सभी संस्थाओं की शेयरधारिता, प्रबंधन और कॉर्पोरेट संरचना का विवरण, संस्थाओं की संरचना, शेयरधारिता और कुल आस्ति का संकेत देने वाला एक चित्रमय ऑर्गोग्राम, और वार्षिक रिपोर्ट पर दिशानिर्देशों के अनुबंध के अनुसार सभी समूह संस्थाओं के पिछले पांच वर्षों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह को सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009 द्वारा परिभाषित किया जाएगा। सभी समूह संस्थाओं के पिछले पांच वर्षों के 31 समेकित और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण प्रदान किए जाने चाहिए।

111. क्या ऐसा शेयरधारक जो हमारी कंपनी में 10% से अधिक शेयरों का मालिक है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंजों (कंपनी "एक्स") के साथ हमारे फाइलिंग के लिए प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, "पेमेंट बैंक आवेदन " के उद्देश्य से आवेदक कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा बनेगा ।

उ. इस प्रयोजन के लिए, प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह को सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009 द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

112. क्या कंपनी (कंपनी Y) जिसमें आवेदक इकाई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की 10% से अधिक शेयरधारिता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हमारे फाइलिंग के लिए प्रमोटर समूह का हिस्सा नहीं है, "भुगतान बैंक आवेदन " के उद्देश्य से आवेदक कंपनी के प्रमोटर समूह का हिस्सा बनेगी।

उ. इस प्रयोजन के लिए, प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह को सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009 द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

113. क्या हमें भुगतान बैंक के लिए आवेदन के साथ कंपनी X और कंपनी Y की शेयरहोल्डिंग पैटर्न, प्रबंधन और कॉर्पोरेट संरचना, ऑर्गनोग्राम, आस्ति, देनदारियों आदि जैसी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

उ. दिशानिर्देशों के अनुबंध से संकेत मिलता है कि व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम, सभी संस्थाओं की शेयरधारिता, प्रबंधन और कॉर्पोरेट संरचना का विवरण, संस्थाओं की संरचना, शेयरधारिता और कुल आस्ति का संकेत देने वाला एक चित्रमय ऑर्गनोग्राम प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑर्गनोग्राम मुख्य व्यक्तिगत प्रमोटरों के साथ शुरू होना चाहिए जो समूह की संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी और समूह की संस्थाओं के बीच क्रॉस होल्डिंग का संकेत देते हैं। प्रत्येक समूह इकाई के लिए ऑर्गनोग्राम की आवश्यकता नहीं है। दिशानिर्देशों के अनुलग्नक के अनुसार आवश्यक विवरण आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

114. क्या प्रस्तावित आवेदक यह देखते हुए आवेदन करने के योग्य होगा कि यह एक भारतीय प्रमोटर समूह द्वारा नियंत्रित है, लेकिन अधिकांश विदेशी शेयरधारिता है? क्या प्रस्तावित आवेदक अभी भी "सैद्धांतिक" अनुमोदन के बाद भुगतान बैंक की स्थापना के लिए अनुमत 18 महीने की अवधि में अपनी विदेशी शेयरधारिता को निर्धारित स्तर तक कम करने के लिए एक रोडमैप के साथ आवेदन कर सकता है।

उ. नहीं। हालांकि, आवेदन करते समय, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को एक योजना और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करनी होगी, जिसे वे दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अपनाएंगे। बैंक की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिए जाने के बाद, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने के भीतर अथवा शुरू होने की तारीख के अनुसार सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा। संचालन का जो भी पहले हो।

115. क्या प्रस्तावित भुगतान बैंक को एक से अधिक प्रमोटर कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है (कंपनियां एक ही समूह में नहीं हैं)। यदि हाँ, तो क्या ऐसी सभी प्रवर्तक कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीयों के पास होना चाहिए अथवा उनमें से अधिकांश का स्वामित्व और नियंत्रण निवासियों द्वारा किया जा सकता है?

उ. नहीं।

116. (ए) क्या प्रस्तावित भुगतान बैंक "प्रमोटर कंपनी" द्वारा 100% धारित हो सकता है? (बी) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में क्या यह मान लेना सही है कि मतदान के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा?

उ. (ए) हाँ।

(बी) नहीं।

117. क्या एक मौजूदा पीपीआई अधिकृत संस्था जिसका संचालन केवल पिछले 6 महीनों से है, लेकिन जिसके प्रमोटर का 2 दशकों से अधिक का ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रमोटर के रूप में 33 पेमेंट्स बैंक के लिए आवेदन कर सकता है।

उ. यदि हां, तो क्या 5 वर्ष के अनुभव की शर्त से छूट दी जा सकती है?

118. क्या एक ही प्रवर्तक का एक इकाई में पीपीआई व्यवसाय और दूसरी संस्था में भुगतान बैंक हो सकता है?

उ. नहीं।

119. क्या कोई भुगतान बैंक एक सेमी-क्लोज्ड वॉलेट की पेशकश कर सकता है जिसे भुगतान बैंक दिशानिर्देशों के तहत सामान्य खाते खोलने के अलावा कम केवाईसी आवश्यकता के साथ एक अलग उत्पाद के रूप में वर्तमान पीपीआई प्राधिकरण के तहत अनुमति दी गई है? इस उद्देश्य के लिए, यदि आवश्यक हो, तो क्या मौजूदा पीपीआई प्राधिकरण को भुगतान बैंक इकाई को स्थानांतरित किया जा सकता है? यदि भुगतान बैंक को सेमी क्लोज्ड वॉलेट की पेशकश करने की अनुमति नहीं है, तो क्या मौजूदा पीपीआई खातों को बचत खातों में माइग्रेट किया जा सकता है?

उ. दिशानिर्देशों के पैरा 4 के अनुसार, भुगतान बैंक दिशानिर्देशों के तहत सामान्य खाते खोलने के अलावा, भुगतान बैंक पीएसएस अधिनियम के तहत समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पीपीआई

जारी कर सकते हैं। इसके अलावा, पीपीआई इकाई एक ही समूह में भुगतान बैंक के साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकती है।

120. वैकल्पिक रूप से क्या पीपीआई प्राधिकरण रखने वाली वर्तमान इकाई को भुगतान बैंक में परिवर्तित किया जा सकता है?

उ. हाँ।

121. कृपया पुष्टि करें कि क्या भुगतान बैंक के लिए कम से कम शाखाओं की कोई बाध्यता नहीं है। यदि ऐसी कोई आवश्यकता है, तो कृपया हमारे ग्राहक आधार/पहुंच के आधार पर कम से कम ऐसी शाखाएं और एटीएम स्थापित करने के दायित्व के बारे में सूचित करें, जो आरबीआई भुगतान बैंक से अपेक्षा करता है? साथ ही, क्या भुगतान बैंक शाखा प्राधिकरण मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट शाखा प्राधिकरण आवश्यकताओं (जैसे: वार्षिक शाखा विस्तार योजना तैयार करना) के अधीन होगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, भुगतान बैंकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 25 प्रतिशत भौतिक पहुंच बिंदु होना आवश्यक है। आरबीआई करता है

भौतिक पहुँच बिंदुओं के लिए किसी न्यूनतम बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता की कल्पना करें?

उ. कृपया दिशानिर्देशों के पैरा 13(i) का संदर्भ लें।

122. भुगतान बैंकों पर लागू मुफ्त एटीएम लेनदेन के मानदंड क्या होंगे?

उ. भुगतान बैंकों पर भी मुफ्त एटीएम लेनदेन के मानदंड लागू होंगे।

123. क्या टेलीकॉम कंपनियों द्वारा ग्राहकों के रूप में साइन अप करने से पहले अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी जांच के लिए प्राप्त किए गए समान दस्तावेज को टेलीकॉम कंपनी द्वारा प्रवर्तित भुगतान बैंक के लिए केवाईसी के उद्देश्य के लिए पर्याप्त माना जाएगा?

उ. भुगतान बैंक को किसी अन्य बैंक की तरह अपना स्वयं का केवाईसी/एएमएल/सीएफटी अभ्यास करना होगा।

124. क्या भुगतान बैंकों को अल्पावधि चलनिधि प्रबंधन के लिए अंतर बैंक मांग मुद्रा बाजार तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी? क्या उन्हें अपनी सरकारी प्रतिभूतियों पर पुनर्खरीद समझौते करने की अनुमति होगी?

उ. हाँ।

125. क्या इससे भुगतान बैंक अन्य बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों को क्रेडिट उत्पाद, म्युचुअल फंड इकाइयां, बीमा और व्यापारिक उत्पाद बेच सकेगा?

उ. बीसी पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन एक भुगतान बैंक दूसरे बैंक का बीसी बनने का विकल्प चुन सकता है।

126. क्या खाताधारक जो केवाईसी के उच्च स्तर वाले व्यापारियों के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें 1 लाख रुपये से अधिक की शेष राशि रखने की अनुमति दी जा सकती है।

उ. नहीं।

127. चूंकि सीमा पार जावक और आवक लेनदेन के लिए कोई विशिष्ट सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, हम मानते हैं कि हम ये लेन-देन तब तक कर सकते हैं जब तक कि दिन के अंत में अधिकतम शेष राशि 1 लाख रुपये (प्रति व्यक्ति ग्राहक) है।

उ. कृपया दिशानिर्देशों के पैरा 4(i) को देखें।

128. कृपया पुष्टि करें कि क्या पेमेंट्स बैंक वीसा/मास्टर/यूपे के साथ डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं?

उ. हाँ।

129. क्या आरबीआई के सभी दिशानिर्देश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू होंगे, भुगतान बैंकों पर लागू होंगे? (उदाहरण के लिए बीएसबीडीए खाते उपलब्ध कराना, मुफ्त एटीएम लेनदेन, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण, आदि)

उ. हां। एससीबी को जारी किए गए सभी दिशानिर्देश जो भुगतान बैंकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित हैं, लागू होंगे।

130. कृपया पुष्टि करें कि भुगतान बैंकों के लिए चेक बुक अथवा अन्य कागज आधारित उत्पाद प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं होगी? नतीजतन, कृपया यह भी पुष्टि करें कि एसीएच/ईसीएस में भाग लेने के लिए भुगतान बैंक की आवश्यकता नहीं है।

उ. भुगतान बैंकों से बीआर अधिनियम 1949 (उधार को छोड़कर) की धारा 5 में बताए गए अनुसार सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें मांग अथवा अन्यथा चुकाने योग्य जमा की स्वीकृति और चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्यथा निकासी शामिल है। समाशोधन गृह/ईसीएस आदि की सदस्यता भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा है।

131. क्या भुगतान बैंक में नया खाता खोलने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण (एनपीसीआई द्वारा सुविधा) की अनुमति दी जाएगी?

उ. दिशानिर्देशों के पैरा 3 के अनुसार, भुगतान बैंक को किसी भी अन्य बैंक की तरह अपना स्वयं का केवाईसी/एएमएल/सीएफटी अभ्यास करना होगा और उसी पर मौजूदा अनुदेशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

132. क्या अन्य लेन-देन - प्रेषण, पीओएस कैश-आउट इत्यादि को मौजूदा बैंकों के समान विनियमित किया जाएगा? अथवा भुगतान बैंकों के लिए अलग विनियम होंगे?

उ. हां, विनियमों का एक ही सेट लागू होगा।

133. (ए) क्या कोई भुगतान बैंक प्रवर्तक ऋण देने की गतिविधियों, विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड जैसे लेन-देन से जुड़े उत्पादों के लिए एक अन्य गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी की स्थापना कर सकता है? (बी) क्या भुगतान बैंक ऐसी एनबीएफसी में अल्पसंख्यक स्वामित्व हिस्सेदारी हासिल कर सकता है?

उ. (ए) हाँ।

(बी) नहीं।

134. क्या आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी किए गए सभी मौजूदा आईटी दिशानिर्देश भुगतान बैंकों पर भी लागू होंगे? भुगतान बैंक संस्थाओं के लिए प्रदान किए गए किसी विशिष्ट अपवाद अथवा बहिष्करण को साझा करने का अनुरोध करें।

उ. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू आरबीआई के सभी दिशानिर्देश भुगतान बैंकों पर लागू होंगे।

135. पेमेंट बैंक के दिशानिर्देशों में यह उल्लेख किया गया है कि पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल स्थानों पर कैश-आउट की अनुमति भी दी जा सकती है। यह स्पष्ट करने का अनुरोध करें कि क्या इसका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

ए) खुदरा विक्रेताओं को पीओएस टर्मिनल प्रदान करना और उन्हें भुगतान बैंक के अंतिम ग्राहकों द्वारा डेबिट कार्ड आधारित नकद निकासी की सुविधा प्रदान करना

बी) बीसी पीओएस टर्मिनलों का उपयोग करें और खाते की जानकारी के बिना डेबिट कार्ड आधारित निकासी की सुविधा दें

सी) क्या लेन-देन की सुविधा के लिए व्यापार चैनल पीओएस टर्मिनल के रूप में अपने मोबाइल एप्लिकेशन अथवा पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं

डी) क्या व्यापार चैनल आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके नकद निकासी कर सकते हैं

उ. (ए से डी) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत जारी मौजूदा अनुदेश लागू होंगे।

136. स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या भुगतान बैंकों को एक लाइसेंस प्राप्त क्रेडिट प्रदाता की ओर से क्रेडिट की पेशकश करने की अनुमति है, एक ऐसी व्यवस्था में जिसके लिए अपने स्वयं के फंड की प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है।

उ. एक भुगतान बैंक किसी अन्य बैंक का बीसी बनने का विकल्प चुन सकता है, जो कि बीसी पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन है, न कि किसी अन्य क्रेडिट प्रदाता के रूप में।

137. इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या 100,000 रुपये की सीमा भुगतान बैंक द्वारा एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में अपने व्यावसायिक संबंधों जैसे कि व्यावसायिक प्रतिनिधियों अथवा उसके एजेंटों, सेवा प्रदाताओं अथवा विक्रेताओं आदि से अन्य जमा राशि पर लागू होती है। इन शेष राशियों को ग्राहक जमा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, और इस तरह की सीमा उन खुदरा विक्रेताओं के भुगतान 38 बैंक खातों पर लागू नहीं होनी चाहिए जो व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में नकद इन/आउट सेवाएं प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।

उ. 1,00,000 रुपये की सीमा ग्राहक जमा पर लागू होती है।

138. इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या भारत में पंजीकृत कंपनियाँ, लेकिन महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (100% तक) के साथ, जो पात्र संस्थाओं की श्रेणियों में आती हैं, पात्र प्रवर्तकों के रूप में योग्य हैं।

उ. आवेदन करते समय, प्रमोटरों/प्रोटर ग्रुप को एक योजना और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करनी होगी जिसे वे दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अपनाएंगे। बैंक की स्थापना के लिए

आरबीआई द्वारा 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिए जाने के बाद, प्रमोटरों/प्रोटर ग्रुप को सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा और सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने के भीतर अथवा संचालन की शुरुआत जो भी पहले हो।

139. भुगतान बैंक के लिए आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में, इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या (1) भुगतान बैंक के लिए एक आवेदन को उस मामले में बाध्यकारी माना जाता है जिसे सैद्धांतिक रूप में मंजूरी दी गई है; (2) क्या आवेदनों का एक अतिरिक्त दौर अपेक्षित है?

उ. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सैद्धांतिक अनुमोदन से आवेदक इस तरह की सैद्धांतिक मंजूरी देने की तारीख से अठारह महीने के भीतर बैंक स्थापित कर सकेगा और उसके बाद सैद्धांतिक मंजूरी स्वत: समाप्त हो जाएगी। भुगतान बैंकों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, आवेदन निरंतर आधार पर प्राप्त किए जाएंगे। हालांकि, ये दिशानिर्देश समय-समय पर समीक्षा और संशोधन के अधीन हैं।

140. क्या प्रवर्तक इकाई अपने अन्य व्यवसाय (जो बैंक द्वारा किया जाता है, उदाहरण के लिए अचल आस्ति, आईटी समाधान, सेवाओं, विनिर्माण आदि के अलावा) को प्रवर्तक संस्था में ही जारी रख सकती है अथवा उक्त व्यवसाय को प्रवर्तक संस्था द्वारा अन्य संस्था को हस्तांतरित किया जाना है?

उ. प्रवर्तक संस्था प्रवर्तक समूह में अपने अन्य व्यवसाय को जारी रख सकती है (इसके अलावा जो बैंक द्वारा किया जाता है जैसे आईटी समाधान, सेवाएं आदि)। प्रमोटरों की अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवा गतिविधियों को स्पष्ट रूप से घेरे में रखा जाना चाहिए और बैंकिंग व्यवसाय के साथ नहीं आना चाहिए।

141. लघु वित्त बैंकों के दिशानिर्देशों में विशिष्ट उल्लेख के विपरीत योग्य प्रमोटर में एमएफआई शामिल नहीं है तो क्या एमएफआई भुगतान बैंकों के लिए एक पात्र प्रमोटर होगा, एमएफआई आमतौर पर एक एनबीएफसी है?

उ. हां। एनबीएफसी - एमएफआई पात्र हैं।

142. क्या भुगतान बैंक सावधि जमा (एफडी), सावधि जमा/आवर्ती जमा स्वीकार कर सकते हैं?

उ. नहीं

143. क्या ऐसे उद्यमी जिनके पास बैंकों को मोबाइल भुगतान और अनुपालन समाधान प्रदान करने का व्यापक अनुभव है और शेष पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, भुगतान बैंकों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं?

उ. हाँ

144. क्या आरबीआई और अन्य संबंधित अनुपालन एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वर्तमान व्यापार नाम का आवेदन करना संभव है जो सॉफ्टवेयर उद्योग (प्राइवेट लिमिटेड) में है और भुगतान बैंक व्यवसाय को अलग करता है।

उ. हाँ । यदि अन्यथा योग्य पाया जाता है तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी भुगतान बैंक को बढ़ावा दे सकती है।